फा. सं. जीएसटी/आईएनवी/डीजीओवी संदर्भ/20-21
वित्त मत्रांलय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी-जांच विंग

दिनांक: 02.02.2021

निर्देश सं. 01/2021

विषय: तलाशी अभियान के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में निर्देश/दिशानिर्देश

बोर्ड और केंद्रीय सतर्कता आयोग के संज्ञान में विशिष्ट दृष्टांत आए हैं जहां तलाशी के दौरान उचित प्रक्रियाओं का स्पष्ट रूप से पालन नहीं किया गया है एवं / अथवा मौजूदा दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार पंचनामा/बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। इस तरह की विसंगतियां बाद में मामले की न्यायिक समीक्षा को कमजोर करती हैं। तदनुसार, सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन मैनुअल (2004) में निहित निर्देश, जो जीएसटी शासन में भी मान्य हैं, एतद्द्वारा डीजीजीआई/ क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा अनुपालन के लिए दोहराए जाते हैं।

2. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 67 में तलाशी के प्रावधान शामिल हैं। इसी तरह के प्रावधान केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 18 में भी शामिल हैं। ये प्रावधान बताते हैं कि तलाशी की सारी कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। इसलिए, तलाशी की कार्यवाही के दौरान निम्न दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

i. तलाशी के लिए प्राधिकार जारी करने वाले अधिकारी के पास तलाशी को अधिकृत करने के लिए वैध और न्यायोचित कारण होने चाहिए, जिसे फाइल में विधिवत दर्ज किया जाएगा। तलाशी केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उचित तलाशी के प्राधिकार के साथ ही की जानी चाहिए।

ii. तलाशी को अधिकृत करने वाले अधिकारी द्वारा डीआईएन से संबंधित निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

iii. किसी व्यक्ति के परिसर की तलाशी, किसी अन्य व्यक्ति के परिसर के लिए जारी किए गए तलाशी वारंट के प्राधिकार पर नहीं की जा सकती है। जहां किसी चूक के कारण किसी मृत व्यक्ति के नाम पर तलाशी वारंट जारी किया गया हो, वहां अधिकृत अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करना चाहिए और कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम पर एक नया वारंट जारी करवाना चाहिए।

iv. आवास की तलाशी के मामले में, एक महिला अधिकारी अनिवार्य रूप से तलाशी दल का हिस्सा होगी।

v. तलाशी दो या दो से अधिक स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की जानी चाहिए, जो अधिमानतः इलाके के सम्मानित निवासी होंगे, और यदि ऐसा कोई निवासी उपलब्ध या इच्छुक नहीं है, तो किसी अन्य इलाके के निवासियों को तलाशी का गवाह बनने के लिए कहा जाना चाहिए। पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए संवेदनशील तलाशी अभियान के दौरान पीएसयू कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों आदि को गवाह के रूप में शामिल किया जा सकता है। गवाहों को तलाशी के उद्देश्य और उनके कर्तव्यों के बारे में बताया जाना चाहिए।

vi. तलाशी लेने वाले अधिकारियों को, परिसर के प्रभारी व्यक्ति को अपना पहचान पत्र दिखाकर अपनी पहचान करवानी चाहिए। तलाशी शुरू होने से पहले, अधिकारी और साथ ही स्वतंत्र गवाहों को अपनी व्यक्तिगत तलाशी की पेशकश करनी चाहिए। तलाशी की समाप्ति के बाद भी सभी अधिकारियों और गवाहों को अपनी व्यक्तिगत तलाशी के लिए फिर से पेशकश करनी चाहिए।

vii. तलाशी प्राधिकार को तलाशी शुरू होने से पहले निष्पादित किया जाएगा और उसे तलाशी किये जाने वाले परिसर के प्रभारी व्यक्ति को दिखाया जाएगा और तलाशी प्राधिकर

के उपर, प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए। गवाहों के हस्ताक्षर भी तलाशी प्राधिकर के उपर प्राप्त किए जाने चाहिए।

viii. तलाशी की कार्यवाही का सही लेखा-जोखा रखने वाला पंचनामा अनिवार्य रूप से बनाया जाना चाहिए और बरामद दस्तावेजों/सामानों/चीजों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंचनामा में तलाशी की शुरुआत और तलाशी के समापन का तारीख और समय का उल्लेख किया जाए। तलाशी शुरू करने से पहले और तलाशी समाप्त होने के बाद अधिकारियों और गवाहों की व्यक्तिगत तलाशी की पेशकश के तथ्य को पंचनामा में दर्ज किया जाना चाहिए।

ix. संवेदनशील परिसरों में तलाशी की कार्यवाही की वीडियोग्राफी पर भी विचार किया जा सकता है और इस तथ्य को पंचनामा में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

x. तलाशी लेते समय अधिकारियों को निर्धारिती/पार्टी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तलाशी के तहत व्यक्ति (व्यक्तियों) की और सभी उपस्थित व्यक्तियों की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का हर समय सम्मान किया जाना चाहिए। तलाशी के दौरान परिसर में मौजूद बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। बच्चों को उनके बैग की जांच के बाद स्कूल जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। किसी भी तलाशी लिए जाने वाले परिसर में उपस्थित महिला को तलाशी दल के प्रवेश करने से पहले, हट जाने का अधिकार है, अगर वह रीति-रिवाजों के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होती है। यदि परिसर में कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तो चिकित्सक को बुलाया जा सकता है।

xi. जिस व्यक्ति के पास से कोई दस्तावेज जब्त किया गया है, उसे उसकी प्रतियां बनाने या उससे उद्धरण लेने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए उसे ऐसी प्रतियां लेने या उससे उद्धरण लेने के लिए उपयुक्त समय और स्थान दिया जा सकता है। हालांकि, अगर यह महसूस किया जाता है कि ऐसी प्रतियां या उद्धरण उपलब्ध कराने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो अधिकारी ऐसी प्रतियां उपलब्ध नहीं भी करा सकता है। यदि तलाशी के दौरान प्रतियां लेने के लिए ऐसा अनुरोध किया जाता है, तो इस अनुरोध और ऐसी प्रतियां लेने के लिए स्थान और समय की सूचना को पंचनामा में शामिल किया जाना चाहिए।

xii. परिसर की तलाशी लेने के लिए अधिकृत अधिकारी को पंचनामा के प्रत्येक पृष्ठ और अनुलग्नकों पर हस्ताक्षर करने होंगे। पंचनामा की एक प्रति उसके सभी अनुलग्नकों के साथ,

उस परिसर के प्रभारी व्यक्ति को दी जानी चाहिए, जिसकी तलाशी ली जा रही है और इस संबंध में पावती ली जानी चाहिए। यदि प्रभारी व्यक्ति पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो उसे गवाहों की उपस्थिति में परिसर के एक विशिष्ट स्थान पर चिपकाया जाना चाहिए। परिसर में चिपकाए गए पंचनामा की तस्वीर को रिकॉर्ड में रखा जा सकता है।

xiii. यदि तलाशी के दौरान कोई बयान दर्ज किया जाता है, तो बयान के प्रत्येक पृष्ठ पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसका बयान दर्ज किया जा रहा है। बयान के प्रत्येक पृष्ठ पर 'मेरे सामने' के रूप में बयान दर्ज करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

xiv. तलाशी समाप्त होने के बाद, विधिवत रूप से निष्पादित तलाशी प्राधिकार को तलाशी के परिणाम के संबंध में एक रिपोर्ट के साथ, उस अधिकारी को लौटा दिया जाना चाहिए जिसने उक्त तलाशी प्राधिकार जारी किया था। तलाशी में भाग लेने वाले अधिकारियों के नाम तलाशी प्राधिकार के पीछे लिखे जाने चाहिए। यदि किसी कारण से तलाशी प्राधिकार निष्पादित नहीं किया जा सकता है, तो इसका उल्लेख तलाशी प्राधिकार के पीछे किया जाना चाहिए और इसकी एक प्रति मामले की फाइल में उस अधिकारी को वापस करने पहले से रखी जा सकती है, जिसने उक्त तलाशी प्राधिकार जारी किया था।

xv. पंचनामा की कार्यवाही पूरी होने के तुरंत बाद अधिकारियों को परिसर छोड़ देना चाहिए।

xvi. प्रचलित COVID-19 महामारी की स्थिति के दौरान, एहतियाती उपाय करना अनिवार्य है जैसे कि उचित सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखना, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग आदि। तलाशी दल को गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश में निहित सभी उपाय करने चाहिए।

3. परिसरों/व्यक्तियों की तलाशी के संबंध में विशिष्ट निर्देश डीजीसीईआई, नई दिल्ली द्वारा जारी केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया और जांच मैनुअल में निहित हैं। आवश्यकतानुसार बाद में भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमे नवीनतम डीजीजीआई निर्देश दिनांक 14.08.2020 है। उपर्लिखित पैरा में वर्णित दिशानिर्देशों का पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों की निरंतरता में अनुगमन किया जाना चाहिए।

4. यह दिशानिर्देश सदस्य (जांच), सीबीआईसी, नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किये जा रहे हैं।

ह /-

(नीरज प्रसाद)
आयुक्त (जीएसटी-अन्वे.), सीबीआईसी
दूरभाष. नंबर: 011-21400623
ईमेल आईडी: gstinv-cbic@gov.in

सेवा में,

1. प्रधान महानिदेशक [डीजीजीआई], नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी सभी जोन।